न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम) जयपुर

पीठासीन अधिकारी – युगान्तर शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 46/2018
गोपीराम दत्तक पुत्र श्री रूडा जाति जाट निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर।
—————प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, तहसील कार्यालय, जयपुर।
2. गोदू पुत्र बाल्या जाति जाट निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर।

—————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
बाबत् दुरूस्ती रिकार्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक 20–08–2019

यह कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम माचवा, पटवार क्षेत्र माचवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माचवा, तहसील व जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नंबर 534 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 535 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 536 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 537 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 538 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 539 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 540 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 541 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 575 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा में हिस्सा 1/2 की खातेदारी बाल्या पुत्र लक्ष्मण की थी।प्रार्थी को दिनांक 28/10/1980 में ही रूडा द्वारा दत्तक ग्रहण कर लिया था, जो गोदनामा उप पंजीयक जयपुर पश्चिम एवं मुद्रांक जयपुर के यहां रजिस्टर्ड किया गया था। इस प्रकार प्रार्थी रूडाराम का दत्तक पुत्र हैं। उपरोक्त प्रार्थना पत्र अधीन भूमि के खातेदार बाल्या पुत्र लक्ष्मण द्वारा अपनी इच्छा से एक वसीयत दिनांक 20/02/1998 को उप पंजीयक जयपुर द्वितीय में रजिस्टर्ड करवाई, जिसमें अपना हिस्सा 1/2 में से आधी–आधी भूमि गोपीराम दत्तक पुत्र रूडा व गोदूराम पुत्र बाल्या जाति जाट के नाम वसीयत की थी। उक्त वसीयत के आधार पर बाल्या की सम्पत्ति उनके स्वर्गवास के पश्चात् जरिये नामान्तकरण संख्या 1290 दिनांक 03/06/2000 को राजस्व कैम्प माचवा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम इन्द्राज की गई। परन्तु वसीयत को नजरअन्दाज करते हुये लिपिकीय त्रुटि के कारण गोपीराम दत्तक पुत्र रूडा के स्थान पर गोपीराम व गोदू पुत्र बाल्या अंकित कर दिया। जबकि वसीयत में स्पष्ट रूप से गोपीराम दत्तक पुत्र रूडा अंकित था। उक्त लिपिकीय त्रुटि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते हुये की गई, जो कि दुरूस्त किये जाने योग्य [illegible]

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर [illegible] पत्र दर्ज किये जाने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी संख्या 2 [illegible] उपस्थित होकर एकबारगी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनो की स्वीकृति की। पटवारी हल्का द्वारा मा[illegible] न्यायालय के तथ्यात्मक रिपोर्ट के सबंध में अपने पत्र क्रमांक भू.अ./कोर्ट/2019/998 दिनांक 04/02/2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार जयपुर द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो स्वयं द्वारा बनायी रिपोर्ट या पटवारी हल्का द्वारा बनायी गई मूल रिपोर्ट प्रस्तुत न कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:50:39 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम) जयपुर

Scanned by CamScanner

फोटो कॉपी प्रस्तुत की। जिसके आधार पर तहसीलदार को पुनः स्पष्ट रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ./कोर्ट/2019/3296 दिनांक 04/6/2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के कथनो को स्वीकार कर अंकित किया कि रजिस्टर्ड गोदनामें एवं वसीयत के आधार पर अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। उसके उपरान्त विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं सरकार सरकार की बहस सुनी गई।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वो बचपन में अपने ताऊ बाल्या के गोद चला गया था। उक्त गोद के संबंध में गोदनामा दिनांक 04/04/1980 को उप पंजीयक जयपुर प्रथम के यहां पंजीबद्ध किया। जिसकी प्रति की ओर माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया साथ ही रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 20/2/1998 की मूल प्रति न्यायालय को अवलोकन कराते हुये निवेदन किया है कि वसीयत के पेज नम्बर 2 के अंतिम मद में स्पष्ट रूप से गोपीराम पुत्र बाल्या दत्तक पुत्र रूडा दर्ज व अंकित हैं। परन्तु जो नामान्तकरण संख्या 1290 वसीयत के आधार पर दर्ज व अंकित किया गया हैं। उसमें प्रार्थी का नाम गोपी पुत्र बाल्या दर्ज व अंकित किया गया हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी रूडा के गोद जा चुका था प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी स्पष्ट है कि उसके समस्त दस्तावेजों जैसे निर्वाचन विभाग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एवं अन्य दस्तावेजों में गोपी दत्तक पुत्र रूडा दर्ज व अंकित हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेज व अप्रार्थी संख्या 2 गोदू पुत्र बाल्या के इकबालिया जवाब एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम माचवा, पटवार क्षेत्र माचवा, भू--अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माचवा, तहसील व जिला जयपुर में वर्तमान जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 में वर्णित खसरा नम्बर 536/1 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 537 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 538/1 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 539/1 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 540 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 541 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम "गोपीराम पुत्र बाल्या" के स्थान पर "गोपीराम पुत्र बाल्या दत्तक पुत्र रूडा" राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार जयपुर को उक्त निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्त करें।

आज दिनांक 20.8.19 को यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:30:39 IST
Reason: SelfAttested

(आर.ए.एस.)

Scanned by CamScanner